राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–98 / 2021
विलास राम उर्फ बिलास राम बनाम् चन्द्र किशोर तुरहा।

यह वाद श्री विलास राम उर्फ बिलास राम, पिता–स्व0 देवल राम, पता–ग्राम–काझी, हृदय नगर, प्रखण्ड+थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ द्वारा श्री चन्द्र किशोर तुरहा, पिता–श्री राम तुरहा, पता–ग्राम–संथाल टोला, पो0–काझी, जिला–पूर्णियाँ के विरुद्व बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए, मुखिया के पद पर निर्वाचित होने के आरोप के आधार पर ग्राम पंचायत राज काझी, हृदय नगर, प्रखण्ड+थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ मुखिया के पद से हटाने हेतु लाया गया है।

02. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री विलास राम उर्फ बिलास राम पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री चन्द्र किशोर तुरहा की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री निशांत कुमार सिन्हा द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री राज कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ को प्राधिकृत किया गया।

03. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि श्री चन्द्र किशोर तुरहा वास्तव में **"तुरहा"** जाति से संबंधित है, जो कि बिहार राज्य में पिछड़ी जातियों (अनुसूची–01) से संबंधित है, जबकि इन्होंने गलत ढंग से **"तुरी"** जाति का जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट पर चुनाव में मुखिया पद पर विजय प्राप्त की है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि **"तुरी"** जाति बिहार राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित है। उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में 1960 में निष्पादित Title Suit संख्या–09 / 1960 का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें इनके दादा दारोगी तुरहा का स्वउद्घोषणा अंकित है, जिसमें उन्होनें अपनी जाति **"तुरहा"** घोषित की है। आयोग द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व अभिलेख यथा खतियान दान–पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित आदि माँगे जाने पर इनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई।

04. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी के आरोपों का खण्डन किया गया, परन्तु उनके द्वारा कोई ठोस अभिलेखीय साक्ष्य अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं किया गया। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि मामले को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को संदर्भित किया जाए।

05. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा पत्रांक–858 / जि0पं0, दिनांक–17.05.2022 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश निम्नरूपेण है:– **"अंचलाधिकारी, बनमनखी ने अपने पत्रांक–647, दिनांक–21.04.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि केवाला में दर्ज "तुरी" जाति के आधार पर श्री चन्द्रकिशोर तुरहा को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। इनके आपसी वैवाहिक संबंध "तुरी" जाति में हुए हैं। इनके नाम में सिर्फ तुरहा लिखा गया है, जबकि वास्तविक रूप से ये "तुरी" जाति के हैं। अंचलाधिकारी, बनमनखी ने पुनः अपने**

पत्रांक–768, दिनांक 13.05.2022 के द्वारा यह प्रतिवेदित किया है कि श्री चन्द्रकिशोर तुरहा विगत 25–30 वर्षों से बनमनखी में निवास करते हैं तथा स्थानीय व्यक्तियों से लिए गए बयानों के आधार पर भी श्री चन्द्रकिशोर तुरहा के अनुसूचित जाति (तुरी जाति) के होने की सम्पुष्टि होती है।

परिवादी श्री विलास राम के द्वारा श्री चन्द्रकिशोर तुरहा के "तुरी" जाति से संबंधित नहीं होने के पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ के द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई के क्रम में भी प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों/कागजातों तथा अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बनमनखी द्वारा प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि श्री चन्द्रकिशोर तुरहा वस्तुतः "तुरी" जाति(अनुसूचित जाति) के हैं।"

जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के द्वारा पत्रांक–858/जि0पं0, दिनांक–17.05.2022 से उपलब्ध कराए गए जाँच प्रतिवेदन में यह अंकित किया गया है कि अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा श्री चन्द्र किशोर तुरहा का जाति प्रमाण–पत्र कैवाला(Sale deed) एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें उनकी जाति **"तुरी"** अंकित की गई है, परन्तु **जाँच प्रतिवेदन में कोई ठोस साक्ष्य जो बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या–673, दिनांक–15.08.2011 में वर्णित है, को संलग्न नहीं किया गया है।**

वादी के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), पूर्णियाँ के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के अवलोकन के उपरांत आयोग द्वारा यह पाया गया कि मामले में प्रथम द्वष्टया श्री चन्द्र किशोर तुरहा की जाति के विनिश्चय से संबंधित है, जिसमें वादी के दावें के विपरीत जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ का प्राथमिक जाँच–प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, परन्तु वादी द्वारा संलग्न किए गए अभिलेखीय साक्ष्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

अतः बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–3887, दिनांक–08.11.2007 के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण–पत्रों के जाँच हेतु गठित कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) को निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्रवाई हेतु मामलें को संदर्भित किया गया।

06. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) द्वारा पत्रांक–11/आ0जा0–13/2022 सा0प्र0–12891, पटना–15, दिनांक–07.07.2023 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश प्रतिवेदन के कंडिका–03 में अंकित है, जो निम्नवत् हैः–

"अतः संकल्प संख्या–3887, दिनांक–08.11.2007 की कंडिका–3(ख) के प्रावधानो के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, श्री चन्द्र किशोर तुरह, मुखिया, ग्राम पंचायत काझी हृदय नगर, पिता–श्री राम तुरहा, ग्राम–संथाल टोला, पोस्ट–काझी, जिला–पूर्णियाँ की जाति "तुरी"(अनुसूचित जाति)" विनिश्चित की जाती है।"

07. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन पर वादी एवं प्रतिवादी का पक्ष जानने हेतु आयोग द्वारा उभयपक्षों अवसर प्रदान किया गया, जिसका सार निम्नवत् हैः–

वादी सुनवाई में अनुपस्थित रहें। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी के दावे के विपरीत उनके मुवक्किल का जाति प्रमाण–पत्र एवं जाति राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) द्वारा सही पाई गई है। अतः वाद को खारिज किया जाए।

वादी को अपना पक्ष रखने हेतु आयोग में पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है, साथ ही साथ राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) के जाँच में भी दोनों पक्षों को अपना साक्ष्य एवं अभिकथन रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। अतएव जबकि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) का अंतिम प्रतिवदेन प्राप्त हो चुका है तथा इस प्रतिवेदन पर दोनों पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु आमंत्रित किया जा चुका है, अब वाद में और अधिक सुनवाई का औचित्य नहीं रह गया, जिसके कारण अंतिम निस्तारण हेतु आदेश सुरक्षित किया गया।

08. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ का प्रतिवेदन तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का निर्णय तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री चन्द्रकिशोर (वर्तमान मुखिया, ग्राम पंचायत काझी हृदय नगर प्रखण्ड–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ) द्वारा अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं होने के बावजूद अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित मुखिया के पद पर बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा–135 के परन्तुक का उल्लंघन कर ग्राम पंचायत काझी हृदय नगर प्रखण्ड–बनमनखी, जिला–पूर्णिया के मुखिया के पद पर निर्वाचित होने से संबंधित है।"

विचाराधीन वाद में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) का निर्णय प्राप्त है, जिसके अनुसार संकल्प संख्या–3887, दिनांक–08.11.2007 की कंडिका–3(ख) के प्रावधानो के आलोक में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, **श्री चन्द्र किशोर तुरह, मुखिया, ग्राम पंचायत काझी हृदय नगर, पिता–श्री राम तुरहा, ग्राम–संथाल टोला, पोस्ट–काझी, जिला–पूर्णियाँ की जाति "तुरी"(अनुसूचित जाति)" विनिश्चित की गई है।"**

रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एवं अन्य (L.P.A. No. 566/2017) मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिनांक–17.09.2019 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में ऐसे मामलो में जाति निर्धारण हेतु Apex Fact Finding body राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) के निर्णय के आलोक में ही आयोग को वाद का निस्तारण करना है।

(कं) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्री चन्द्रकिशोर तुरहा की जाति "तुरी (अनुसूचित जाति)" है। ग्राम पंचायत–काझी हृदय नगर प्रखण्ड–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ में मुखिया का पद अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों हेतु आरक्षित था, इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 के परन्तुक के तहत श्री चन्द्रकिशोर अर्हता प्राप्त थी, जिसके कारण उक्त पद (मुखिया) पर उनका निर्वाचन बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 के तहत नियमाकूल है।

उक्त वर्णित स्थिति में वादी श्री विलास राम उर्फ बिलास राम के सभी अनुरोध/माँग को खारिज किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
16.08.2023
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
16.08.2023
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–98/2021 2968 पटना, दिनांक–16 अगस्त, 2023

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह–अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु गठित निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16/08/23
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–98/2021 2968 पटना, दिनांक–16 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

16/08/23
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–98/2021 2968 पटना, दिनांक–16 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि–वादी श्री विलास राम उर्फ बिलास राम, पिता–स्व0 देवल राम, पता–ग्राम–काझी, हृदय नगर, प्रखण्ड+थाना–बनमनखी, जिला–पूर्णियाँ एवं श्री चन्द्र किशोर तुरहा, पिता–श्री राम तुरहा, पता–ग्राम–संथाल टोला, पो0–काझी, जिला–पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

16/08/23
विशेष कार्य पदाधिकारी